

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 45

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1152.68	...	1152.68	1308.66	...	1308.66	1304.12	...	1304.12	2941.99	...	2941.99
वसूलियां	-7.16	...	-7.16	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>1145.52</b>	...	<b>1145.52</b>	<b>1308.66</b>	...	<b>1308.66</b>	<b>1304.12</b>	...	<b>1304.12</b>	<b>2941.99</b>	...	<b>2941.99</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	26.63	...	26.63	36.10	...	36.10	35.44	...	35.44	40.00	...	40.00
2. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	...	...	...	0.16	...	0.16	0.18	...	0.18	0.18	...	0.18
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>26.63</b>	...	<b>26.63</b>	<b>36.26</b>	...	<b>36.26</b>	<b>35.62</b>	...	<b>35.62</b>	<b>40.18</b>	...	<b>40.18</b>
<b>केन्द्र द्वारा क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
3. प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना	667.05	...	667.05	700.00	...	700.00	791.00	...	791.00	900.00	...	900.00
4. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00	1022.00	...	1022.00
<b>जोड़-केन्द्र द्वारा क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>667.05</b>	...	<b>667.05</b>	<b>700.00</b>	...	<b>700.00</b>	<b>801.00</b>	...	<b>801.00</b>	<b>1922.00</b>	...	<b>1922.00</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
5. भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफपीटी)	27.97	...	27.97	31.90	...	31.90	28.00	...	28.00	...	...	...
6. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम)	36.12	...	36.12	40.50	...	40.50	40.50	...	40.50	79.81	...	79.81
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>64.09</b>	...	<b>64.09</b>	<b>72.40</b>	...	<b>72.40</b>	<b>68.50</b>	...	<b>68.50</b>	<b>79.81</b>	...	<b>79.81</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>	<b>64.09</b>	...	<b>64.09</b>	<b>72.40</b>	...	<b>72.40</b>	<b>68.50</b>	...	<b>68.50</b>	<b>79.81</b>	...	<b>79.81</b>
<b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं</b>												
7. प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम	394.91	...	394.91	500.00	...	500.00	399.00	...	399.00	900.00	...	900.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
औपचारिकीकरण योजना (पी.एम. एफएमई)												
8. वास्तविक वसूतियां	-7.16	...	-7.16	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं	387.75	...	387.75	500.00	...	500.00	399.00	...	399.00	900.00	...	900.00
<b>कुल जोड़</b>	<b>1145.52</b>	<b>...</b>	<b>1145.52</b>	<b>1308.66</b>	<b>...</b>	<b>1308.66</b>	<b>1304.12</b>	<b>...</b>	<b>1304.12</b>	<b>2941.99</b>	<b>...</b>	<b>2941.99</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. खाद्य संग्रहण और भंडारण	922.20	...	922.20	957.56	...	957.56	943.95	...	943.95	2411.99	...	2411.99
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	26.61	...	26.61	36.10	...	36.10	35.44	...	35.44	40.00	...	40.00
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>948.81</b>	<b>...</b>	<b>948.81</b>	<b>993.66</b>	<b>...</b>	<b>993.66</b>	<b>979.39</b>	<b>...</b>	<b>979.39</b>	<b>2451.99</b>	<b>...</b>	<b>2451.99</b>
<b>अन्य</b>												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	120.00	...	120.00	121.12	...	121.12	180.00	...	180.00
4. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	195.90	...	195.90	192.50	...	192.50	197.76	...	197.76	300.00	...	300.00
5. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	0.81	...	0.81	2.50	...	2.50	5.85	...	5.85	10.00	...	10.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>196.71</b>	<b>...</b>	<b>196.71</b>	<b>315.00</b>	<b>...</b>	<b>315.00</b>	<b>324.73</b>	<b>...</b>	<b>324.73</b>	<b>490.00</b>	<b>...</b>	<b>490.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1145.52</b>	<b>...</b>	<b>1145.52</b>	<b>1308.66</b>	<b>...</b>	<b>1308.66</b>	<b>1304.12</b>	<b>...</b>	<b>1304.12</b>	<b>2941.99</b>	<b>...</b>	<b>2941.99</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए किया गया है।

2. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान वाइन एंड वाइन (ओआईवी) के अंतरराष्ट्रीय संगठन में अंशदान के लिए है।

3. **प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना:** इसमें निम्नलिखित योजनाओं के वित्तपोषण के लिए प्रावधान किया गया है: (क) मेगा फूड; (ख) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना; (ग) एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना; (घ) खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार; (ङ) बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज सृजन; (च) खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना; (छ) मानव संसाधन एवं संस्थान (ज) अवसंरचना से संबंधित स्कीमों के अंतर्गत प्रतिबद्ध देनदारियां; (झ) ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम; तथा (ञ) स्वच्छता कार्य योजना।

4. **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना:** पीएलआई योजना को भारत की विनिर्माण क्षमताओं के संवर्धन और संवर्धित निर्यात के लिए तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैम्पियन को तैयार करने के लिए सहायता देना; अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य उत्पादों को भारतीय ब्रांड मदद करना; गैर कृषि क्षेत्र में के रोजगार अवसर बढ़ाने और कृषि उत्पाद के लिए उचित मूल्य तथा किसानों के लिए अधिक आय सुनिश्चित करना है।

6. **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम):** भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान, थंनजुबूर और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता तथा प्रबंधन संस्थान, कुडली किया गया है। यह प्रावधान आवृत्ति व्यय को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध कराने हेतु किया गया है।

7. **प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (पी.एम. एफएमई):** यह प्रावधान 'आत्म निर्भर भारत पैकेज, के तहत 2020 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ की गई स्कीम के लिए है, जिसे पांच वर्षों की अवधि में 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लाभान्वित करने और औपचारिक रूप से बढ़ावा देने के लिए है।